



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1694]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 1, 2011/भाद्र 10, 1933

No. 1694]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2011/BHADRA 10, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2011

(आयकर)

का.आ. 2031(अ).—जबकि, आय पर करों के संबंध में वित्तीय अपवंचन को रोकने और दोहरे कराधान के परिहार के लिए, भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार का संशोधन करने वाला दूसरा प्रोटोकॉल (जिसका इसके पश्चात् “प्रोटोकॉल” के रूप में उल्लेख किया गया है) जिस पर भारत में 24 जून, 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे, प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार, प्रोटोकॉल को प्रवृत्त करने हेतु संबंधित देशों के कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के पश्चात् बाद की अधिसूचना की तारीख के परवर्ती माह का पहला दिन होने के कारण पहली सितम्बर, 2011 को लागू हो जाएगा।

अतः, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न प्रोटोकॉल के सभी उपबंधों को, प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार पहली जनवरी, 2008 के बाद आने वाली कराधेय अवधियों के लिए अर्थात् वित्तीय वर्ष 2008-09 और अनुवर्ती वित्तीय वर्षों के लिए भारत संघ में प्रवृत्त किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 47/2011/फा. सं. 500/139/2002-वि.क.प्र.-II]

के. रामालिंगम, संयुक्त सचिव

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने वाला दूसरा प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार, 29 जून, 2005 को भारत में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल (जिसे इसके बाद ‘करार’ कहा जाएगा) द्वारा यथा-संशोधित दिनांक 24 जनवरी, 1994 को भारत में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच करार को संशोधित करने के लिए दूसरा प्रोटोकॉल निष्पन्न करने की इच्छा से निम्नानुसार सहमत हुए हैं :—

अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद 28 को हटा दिया जाएगा और निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“अनुच्छेद 28—सूचना का आदान-प्रदान

1. सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा प्रशासन के अथवा सविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रवर्तन को कार्यान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल है) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों का निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;
- (ख) ऐसी सूचना प्रदान करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आईर पब्लिक)।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए सूचना एकत्र करने वाले अपने उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना प्रदान करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामित या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद-2

29 जून, 2005 को भारत में हस्ताक्षरित करार के प्रोटोकोल के अनुच्छेद 2 को हटाया जाएगा।

अनुच्छेद-3

दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकोल को लागू करने के लिए इसके कानून द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने पर एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे। यह प्रोटोकोल इन अधिसूचनाओं की परवर्ती तारीख के बाद के महीने के प्रथम दिन को लागू होगा। इस प्रोटोकोल के उपबंध उन कराधेय अवधियों से संबंधित करें पर

लागू होंगे जो इस प्रोटोकोल के प्रवृत्त होने के कैलेंडर वर्ष के तत्काल पूर्व के तीन कैलेंडर वर्षों के 1 जनवरी को अथवा इसके बाद शुरू होता है।

अनुच्छेद-4

यह प्रोटोकोल जो करार के अतिरिक्त भाग के रूप में होगा, तब तक प्रवृत्त ना रहेगा जब तक कि करार प्रवृत्त रहेगा और तब तक लागू होगा जब तक कि करार अनुप्रयोज्य रहता है।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए अपनी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार ग्यारह के जून माह के चौबीसवें दिन हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं। दोनों पाठों के मध्य भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

सिंगापुर गणराज्य की
सरकार की ओर से

ह/.

ह/.

(प्रकाश चन्द्र)
अध्यक्ष

(कैरन ऐन टन पिंग मिंग)
भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड